

Form No. III

फर्द अहकाम

वीरीसिंह वनाम रणवीर बगै0.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट नं. 170/24 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23.07.2024	<p>प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02, 03, में वर्णित आराजी बाके ग्राम कोठीखेडा तहसील बयाना स्थित है में वादी/प्रार्थी के हिरसे की आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। रहन वय मुन्तिकल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखें। साथ ही प्राईमा फेरी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः उभयपक्षकारान के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 29.08.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02, 03, में वर्णित आराजी बाके ग्राम कोठीखेडा तहसील बयाना को बेचान नहीं करें।</p> <p>नोट-- यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2024 को पेश हो।</p>	

29/8/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो
रीडर
जे.ए.डी.एम.

29/8/24
29-8-24

9/12/24 - प्रमाण 710 $\frac{13}{25}$ को एजमिनीय-अपवाप
ले पाओ आज प्रेम डडी. 2015 व-
वर्ष प्रेम उमर 13/11/25 को
प्रेम डडी/प्र

आवालय

202 $\frac{25}{25}$ पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/6/25 को पेस है

106 $\frac{25}{25}$ पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/6/25 को पेस है।
रीडर
अं./एस.डी.एम
रीडर का पत्र

रीडर
अं./एस.डी.एम.

10 $\frac{25}{25}$ - वकुलाप 13/11/25 को 2015 व- 1 वर्ष
की प्रमाण 2015 को 2015
दि. 27/10/25 को प्रेम डडी

27/10 $\frac{25}{25}$ प्रमाण पेस डडी। प्रमाण में वकुलाप
अपुन। फरीमैन अफुल। प्रमाण के सम्बन्ध
में आवालय एका जे बार-बार आवाज
लगावाइ गई आवाज उपरान्त की प्रमाण
में कोई उपबन्धी

अतः प्रमाण इली एवर पर अपन
दाखिली व अपन पेम्बी में खारीण किया
जाता है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
वर्ष जे सन है। बार वसतील पत्रावली
कपूर है प्र

Handwritten notes at the bottom left corner.

Handwritten notes at the bottom center.